मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 18, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री रामबहादुर सिंह परिहार के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.42 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने शहडोल अनूपपुर एवं कटनी जिले में विद्युत लाइन के एंगलों को बेचे जाने,

(2) श्री रामगुलाब उईके, सदस्य ने जिला डिण्डोरी विकासखंड के अन्तर्गत शाहपुर ग्राम मालपुर में सेतु निर्माण होने,

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकाने शिक्षित बेरोजगारों को आवंटित न किये जाने,

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने जिला सीधी में गोपद विकास समिति कटई के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गरीब बच्चों को शिष्यवृत्ति का भुगतान न किये जाने,

(5) श्री मुन्ना सिंह नरवरिया, सदस्य ने प्रभारी संचालक/संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग की लापरवही के कारण आवंटित बजट का उपयोग न किये जाने, तथा

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने मउगंज जिला रीवा के अन्तर्गत हनुमना में सिविल न्यायालय खोलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2001-2002) में से मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अंश,

(ख) लोक आयुक्त संगठन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 व्याख्यात्मक ज्ञापन

(ग) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के बीसवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर,

(घ) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003),

(ड.) लोक आयुक्त संगठन का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 व्याख्यात्मक ज्ञापन,

(च) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के इक्कीसवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर,

(छ) मध्यप्रदेश उप लोकआयुक्त न्यायमूर्ति श्री एस.के. चावला का विशेष प्रतिवेदन (वर्ष 2003), तथा

(ज) मध्यप्रदेश उप लोकआयुक्त का विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2003 व्याख्यात्मक ज्ञापन,

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2)की अपेक्षानुसार :-

(क) वित्त लेखे वर्ष 2003-2004,

(ख) विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004; तथा

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष (राजस्व प्राप्तियां),

(3) श्री रुस्तम सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(4) श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, श्रम ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 1932 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 16 जुलाई, 2004,
(ख) क्रमांक 1997 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,
(ग) क्रमांक 1998 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,
(घ) क्रमांक 1999 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 23 जुलाई, 2004,
(ड.) क्रमांक 1713 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 25 जून, 2004 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 2000-वि.नि.आ.-2004, दिनांक 23 जुलाई, 2004,
(च) क्रमांक 2118 -म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 अगस्त, 2004,
(छ) क्रमांक 2119 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 अगस्त, 2004,
(ज) क्रमांक 2385 -म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 4 सितम्बर, 2004,
(झ) क्रमांक 2556 -म.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2004; तथा
(ञ) क्रमांक 2560 -वि.नि.आ.-04, दिनांक 22 सितम्बर, 2004,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य ने मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पेपर एवं कवर क्रय में की गई अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री अजय विश्नोई, अजय सिंह, नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य ने जबलपुर जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रुस्तम सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

6. वक्तव्य

मध्यप्रदेश में गोकुल ग्राम व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर ने वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(3) सर्वश्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा), सोबरन सिंह "बाबूजी", राजेश पटेल, सदस्य ने जिला अशोक नगर में नगर पालिका परिषद् के चुनाव के दौरान स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए तथा अपनी बात कहने लगे)

(1.01 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में सिंध नदी के किनारे रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री अमर सिंह कोठार, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय विधेयक के पुरःस्थापन एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय विधेयक	निर्धारित समय
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक,(क्रमांक 16 सन् 2004) का पुरःस्थापन भारसाधक सदस्य श्री सत्यदेव कटारे	15 मिनट

अशासकीय संकल्प

1.	(क्रमांक-10)	श्री सत्यदेव कटारे	45 मिनट
2.	(क्रमांक-14)	श्री निशिथ पटेल	30 मिनट
3.	(क्रमांक-31)	श्री ब्रजमोहन धूत	1 घन्टा

श्री अमर सिंह कोठार, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) सुश्री कुसुम सिंह, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने बालाघाट जिले में पुल-पुलिया निर्माण में कम तथा घटिया निर्माण एवं फर्जी मस्टर रोल के भुगतान की जांच कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

10. वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने दिनांक 26 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक-4104) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक-2575) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र में पारित मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अनुदान का प्रदाय) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 32 सन् 2003) को महामहिम राज्यपाल महोदय की तथा विधान सभा के जून-जुलाई, 2004 सत्र में पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) एवं भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है।

12. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मैंने, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा नियमावली के नियम 65 (1) तथा स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर उक्त विधेयकों को आज ही सदन में पुरःस्थापित करने तथा उस पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है।
मैं, समझता हू कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रादान की गई।

13. औचित्य प्रश्न और व्यस्था

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुरःस्थापन किये जाने पर औचित्य प्रश्न उठाया गया कि कानूनन इसका पुरःस्थापन ही नहीं हो सकता और यह पूरा विधेयक न्याय संम्मत नहीं है। किसी भी विधेयक के पुरःस्थापन के पहले उसमें पूरी तरह से उद्देश्यों का विवरण होना चाहिए लेकिन इसमें उद्देश्य और सिद्धांतों का विवरण नहीं है। चूंकि यह सहकारी सोसायटी अधिनियम 28 अप्रैल, 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति से मध्यप्रदेश में स्वीकृत हुआ और 12 मई, 1961 को इसको प्रकाशित किया गया। इसमें तमाम ऐसे संशोधन हैं, जिससे कि खर्च होगा, इसमें वित्तीय ज्ञापन दिया ही नहीं गया है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 61 (1), 61 (2) के तहत वित्तीय ज्ञापन होना भी आवश्यक है। परन्तु मंत्री जी द्वारा इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है कि निधियां जो खर्च होंगी, कहां से आप खर्च करेंगे। इसमें महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति बहुत अनिवार्य है, जो कि नहीं ली गई है इसलिए इस विधेयक को अभी पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी कि -

"विधेयक दिनांक 7.12.2004 को सभी सम्माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया था और आज दिनांक 9.12.2004 है। दो दिन में कोई भी सदस्य संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे। उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट विधेयक की सारी बातें आ गयी हैं और किसी विधेयक के पास होने के बाद ही प्रशासनिक नियम बनते हैं और फिर उसके आदेश निकलते हैं। इसमें आपने जो वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता बतायी, मैं उसे आवश्यक नहीं समझता हूं। अतः इस विधेयक के पुरःस्थापन पर डॉ. गोविन्द सिंह द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को मैं अग्राह्य करता हूं।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004),

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण ने मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004),

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004),

सदन की अनुमति से पुरः स्थापित किये।

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री सुखदेव पांसे
(5) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
(6) श्री उम्मेद सिंह बना
(7) श्री शंकर लाल तिवारी
(8) श्री निशिथ पटेल
(9) श्री गुरुचरण सिंह

श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

15. लोक लेखा समिति में रिक्त दो स्थानों पर सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति हेतु नाम वापसी के पश्चात् केवल दो ही उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि दो सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अतः निम्नलिखित सदस्यों को लोक लेखा समिति के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

(1) श्री अंचल सोनकर
(2) श्री जुगुल किशोर बागरी

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) सुश्री उषा ठाकुर
(3) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(4) श्री शंकर लाल तिवारी
(5) डॉ. सुनीलम
(6) श्री किशोरीलाल वर्मा
(7) श्री पारस जैन
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 25 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(2) श्री निशिथ पटेल
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) डॉ. सुनीलम्

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 21 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) विधेयक, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव
(6) श्री राजेश पटेल
(7) डॉ. सुनीलम्
(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(9) श्री सुदामा सिंह
(10) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 14 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

07.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 19, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.